

फर्द अहकाम

न्यायालय S.P.O

शा.खर)

योगी देवी

बनाम

मातीराम बर्बर

मुकदमा संख्या/वर्ष

3/2014

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>12/10/14</p> <p>9-11-14</p> <p>No 9</p> <p>2</p>	<p>किसी मूल उपस्थित/अभिभावक सभ में व्यापिक कार्य स्थगित रखा/P.O. द्वारा अन्य प्रशासनिक कार्य है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 9/11/14 को फल है।</p> <p>(शेडर)</p> <p>पत्रावली पेश। इसी वकील कपीलाक्षी ने उपरोक्त हिंसात्मक कार्य की वजह जाति विरुद्ध कावाज लगाई गई। कपीलाक्षी (केतकी) स्थगित नहीं है। यह उपरोक्त कदम सही कदम है। व कदम उपस्थित में जारी किया जाय है। पत्रावली के फल कुमार देवरा (वकील) दफतर है।</p> <p>उपरोक्त आदेश शाहपुरा (जयपुर)</p>